2005 से पहले के नोट वापस लेने का आरबीआई का आदेश

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने साल 2005 से पहले जारी करेंसी नोटों को 1 अप्रैल से वापस लेने की बात कही है. बैंकों ने इस निर्देश का सही तरीके से पालन हो, इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

- इस आदेश से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे क्रमवार पूछे गए हैंः

प्रश्न-नोट वापस क्यों लिए जा रहे हैं?

उत्तर- साल 2005 से सरकार ने बेहतरीन सिक्युरिटी फीचर्स वाले नोट प्रिंट करने शुरू किए. जो नोट पहले से छप चुके थे, वे असली-नकली के लिहाज से अब भी चुनौती बने हुए हैं. यानी मार्केट में जो नकली नोट आ रहे हैं, वे ज्यादातर 2005 से पहले छपे नोटों की नकल होते हैं.

प्रश्न-क्या साल 2005 से पहले छपे सभी नोट 1 अप्रैल से बेकार हो जाएंगे?

उत्तर-जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कोई अगला आदेश नहीं जारी होता है, ये नोट पूरी तरह लीगल (वैध) रहेंगे और इनसे किसी भी तरह का मौद्रिक लेन-देन किया जा सकेगा.

प्रश्न- आजकल करेंसी नोटों को लेकर चर्चा क्यों तेज हो गई है?

उत्तर- एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जाली नोटों की छपाई पर लगाम कसना होगा, ताकि कालेधन के प्रवाह पर रोक लग सके. इसके अलावा कुछ दिन तक भारतीय रिजर्व बैंक ने कानूनी निविदा के रूप में नोटों को अवर्गीकृत किया है. आने वाले 1 अप्रैल से ऐसे नोट वापस लेना शुरू कर देगा, जो साल 2005 के पहले प्रिंट हुए हैं.

प्रश्न- साल 2005 से पहले के ये नोट हैं कहां?

उत्तर- अगर आपने बीते कुछ सालों से नगद पैसे बचाकर अपने पास रखे हैं तो शायद ये थोड़े-बहुत आपके पास हों. या हो सकता है कि आपने किसी डील के तहत बड़ी मात्रा में कैश रिसीव किया हो. वैसे रोजाना के लेन-देन से भी इस तरह के नोट आपके पास आ सकते हैं.

प्रश्न-ये नोट कैसे बदले जा सकते हैं?

उत्तर-आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर काउंटर पर इन नोटों को चेंज कर सकते हैं. जल्द ही आरबीआई इस बारे में ब्योरेवार काम शुरू कराएगा, जिसे बैंकों को मानना होगा.

प्रश्न-क्या बदले जाने वाले नोटों की तादाद की कोई सीमा तय की गई है?

उत्तर-आरबीआई ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की है. हां, 50 हजार रुपये ज्यादा के कैश के लिए पैन वाला नियम लागू होगा. 10 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) को सूचना दी जाएगी. अगर आपके पास 20-30 या इससे कुछ ही ज्यादा नोट होंगे तो उन्हें आप आसानी से काउंटर पर बदल सकते हैं.

प्रश्न-पुराने नोटों को कब तक बदला जा सकेगा?

उत्तर-यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू होगा. लेकिन, आप अब भी इन नोटों को बदल सकते हैं. इन नोटों को आप बैंक में या एटीएम के जरिए अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं. उसके बाद ये नोट खुद-ब-खुद रिप्लेस हो जाएंगे.

प्रश्न-क्या नोट बदलने के लिए किसी डाक्युमेंट की जरूरत होगी?

उत्तर-आप जिस बैंक में नोट बदलने गए हैं, अगर आप उसके कस्टमर हैं तो वहां नोट बदलने के लिए केवल आपको खुद को आइडेंटिफाई कराना होगा. 1 जुलाई से अगर आप बैंक में 500 या 1000 के 10 नोट से ज्यादा बदलने जाएंगे और आप वहां के अकाउंट होल्डर नहीं होंगे तो बैंक में आपको अपना आईडी और रेजिडेंस प्रूफ पेश करना होगा. वैसे, आरबीआई इस बारे में और ब्योरेवार प्रक्रिया से जुड़े निर्देश देगा.

प्रश्न-बदलते समय अगर कोई नोट जाली निकला तो क्या होगा?

उत्तर-बैंक इस बारे में आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक काम करेंगे. अगर पांच या इससे ज्यादा नकली नोट मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी.

प्रश्न-क्या नोटों के बदले जाने को लेकर चिंता या पैनिक होने जैसी कोई बात है?

उत्तर-अगर आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास जो भी पुराने नोट हैं उन्हें बदल डालिए और यह सुनिश्चित कर लें कि अब लेन-देन में आपके पास कोई पुराना नोट न आने पाए. हां, जो लोग बड़ी तादाद में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, खासतौर पर प्रॉपर्टी वगैरह में, तो उन्हें जरूर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

प्रश्न-नोट बदलने का फैसला आरबीआई ने अचानक क्यों लिया?

उत्तर- यह कदम अचानक नहीं उठाया गया. बीते कई सालों से जब साल 2005 से पहले का एक नोट बैंक के पास आया तो उसे आरबीआई के पास डिस्पोजल के लिए भेजा गया. केंद्रीय बैंक की ओर से इस तरह के नोटों को पब्लिक के बीच से लाने का यह पहला कदम है.

प्रश्न-2005 से पहले के नोटों को कैसे पहचानें?

उत्तर-2005 के बाद से मुद्रित सभी नोटों के रिवर्स साइड (गांधी जी की तस्वीर नहीं है) पर नीचे पट्टी के मध्य में मुद्रण वर्ष छपा है.

(स्रोतः एजेंसियां)